(क) क्या यह सच है कि 2008-09 से 2011-12 के बीच लगभग सभी राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के अंतर्गत जारी निधि का उपयोग करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान आबंटित, जारी और व्यय की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पुलिस बल के आधुनिकीकरण के अंतर्गत निधियों को जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय क्या प्रयास कर रहा है;

(घ) क्या पुलिस बल के आधुनिकीकरण के अंतर्गत किन्ही विशेष घटकों को शामिल किये जाने की योजना बनायी जा रही है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)**

**(क) और (ख) : वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान राज्य सरकारों को राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एम पी एफ) की योजना के तहत जारी की गई निधियों और वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा सूचित उपयोग को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र दिनांक 01.04.2013 को देय होगा।**

**(ग) : एम पी एफ योजना के तहत राज्यों को मंजूर और जारी की गई निधियों के समय पर और उचित उपयोग की निगरानी के लिए, गृह मंत्रालय ने मार्च, 2009 से समवर्ती लेखा परीक्षा की प्रणाली शुरु की है। एम पी एफ योजना की निधियों की समवर्ती लेखा परीक्षा गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक तिमाही में की जा रही है।**

**(घ) से (च) : गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एम पी एफ स्कीम) वर्ष 2009-10 में समाप्त हो गई थी। यह योजना, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी सी एस) के अनुमोदन से दो वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2011-12 तक के लिए आगे बढ़ा दी गई थी। बढ़ाई गई एम पी एफ योजना भी 31 मार्च, 2012 को समाप्त हो गई है।**

 **सचिवों की समिति की सिफारिशों के अनुसार आंशिक रूप से गैर-योजना और आंशिक रूप से योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से पांच वर्षों (2012-13 से 2016-17 तक) की अवधि के लिए एम पी एफ योजना की समयावधि और आगे बढ़ाने के प्रस्तावों पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है।**

**----**

राज्य सभा अता. प्रश्न सं.-1933

**अनुलग्नक**

**वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एम पी एफ स्कीम) के तहत राज्यों को जारी की गईं निधियों और वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के संबंध में उपयोग को दर्शाने वाला विवरण**

 **(करोड़ रूपए)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **राज्य का नाम** | **2008-09** | **2009-10** | **2010-11** | **2011-12** |
| **जारी की गई निधियाँ** | **सूचित उपयोग** | **जारी की गई निधियाँ** | **सूचित उपयोग** | **जारी की गई निधियाँ** | **सूचित उपयोग** | **जारी की गई निधियाँ** |
| आन्ध्र प्रदेश | 83.83 | 81.01 | 115.54 | 61.10 | 89.96 | 17.71 | 6.35 |
| अरुणाचल प्रदेश | 14.72 | 11.13 | 11.50 | 11.30 | 10.75 | 6.28 | 7.08 |
| असम | 68.11 | 60.67 | 60.79 | 8.40 | 48.51 | 32.28 | 48.02 |
| बिहार | 41.57 | 41.57 | 59.34 | 59.34 | 63.67 | 26.00 | 28.50 |
| छत्तीसगढ़ | 26.54 | 24.81 | 17.04 | 17.04 | 29.08 | 19.37 | 12.48 |
| गोवा | 4.00 | 3.91 | 7.08 | 7.09 | 2.30 | 1.58 | 0.08 |
| गुजरात‍ | 48.02 | 46.75 | 52.18 | 47.36 | 55.27 | 46.35 | 33.23 |
| हरियाणा | 27.51 | 27.51 | 46.63 | 30.47 | 30.41 | 7.07 | 5.23 |
| हिमाल प्रदेश | 9.99 | 9.93 | 7.10 | 7.10 | 6.36 | 0.34 | 5.91 |
| जम्मू और कश्मीर | 109.65 | 109.65 | 111.18 | 111.18 | 148.25 | 132.24 | 109.73 |
| झारखंड | 69.85 | 66.00 | 33.49 | 28.30 | 36.90 | 0 | 6.58 |
| कर्नाटक | 69.61 | 69.61 | 63.96 | 63.77 | 83.01 | 57.94 | 53.37 |
| केरल | 22.90 | 22.90 | 32.54 | 32.54 | 42.68 | 41.55 | 27.05 |
| मध्य प्रदेश | 40.37 | 40.37 | 54.87 | 49.73 | 72.41 | 51.50 | 37.54 |
| महाराष्ट्र | 75.86 | 72.08 | 72.48 | 70.48 | 42.26 | 35.30 | 64.72 |
| मणिपुर | 39.23 | 32.96 | 27.44 | 17.34 | 26.63 | 24.44 | 38.76 |
| मेघालय | 10.81 | 10.81 | 9.73 | 8.33 | 8.48 | 0 | 6.69 |
| मिजोरम | 12.69 | 12.69 | 11.48 | 11.48 | 19.55 | 0 | 13.18 |
| नागालैंड | 38.42 | 38.42 | 31.50 | 31.50 | 33.77 | 33.77 | 30.08 |
| ओडिशा | 42.54 | 42.54 | 51.87 | 51.84 | 54.24 | 54.24 | 20.28 |
| पंजाब | 21.56 | 21.56 | 33.50 | 32.45 | 26.08 | 0 | 32.12 |
| राजस्थान | 49.10 | 48.34 | 51.18 | 48.66 | 47.88 | 45.23 | 33.17 |
| सिक्किम | 6.12 | 6.12 | 4.72 | 4.12 | 2.17 | 1.24 | 5.02 |
| तमिलनाडु | 50.10 | 50.10 | 60.67 | 45.46 | 92.52 | 44.51 | 43.19 |
| त्रिपुरा | 20.66 | 20.66 | 22.92 | 22.02 | 23.08 | 18.54 | 16.35 |
| उत्तर प्रदेश | 102.31 | 91.43 | 125.17 | 125.17 | 77.61 | 33.02 | 61.76 |
| उत्तराखंड | 19.39 | 19.39 | 5.29 | 5.29 | 6.35 | 0 | 5.75 |
| पश्चिम बंगाल | 32.18 | 31.93 | 48.81 | 48.81 | 43.73 | 0 | 47.78 |
| **कुल** |  **1157.64** |  **1114.85** |  **1230.00** |  **1026.29** | **1224.63** | **730.50** | **800.00** |

वर्ष 2011-12 के दौरान जारी की गईं निधियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2013 को देय होगा।

----